आदेश अधीन धारा 3 आफ पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918

जिला में कई गांवों/शहरों/कस्बों में चोरी, डकैती व अन्य वारदातें दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा एवं सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला में सभी गांवों, कस्बों, शहरों आदि में तुरन्त प्रभाव से ठीकरी पहरा लगवाकर गश्त करना अति आवश्यक है।

उपरोक्त रिपोर्ट से सहमत होते हुए मैं, सुजान सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधीश, कैथल दा पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की डयूटी लगाता हूं कि वह अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने, नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा एवं सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा/बचाव हेतू ठीकरी पहरा देंगे ताकि कोई किसी प्रकार की अप्रिय वारदात न होने पाए। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी सम्बन्धित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी /खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/लोकल बाडिज की होगी। यह आदेश दिनांक 31–01–2020 से 31–03–2020 तक लागू रहेंगे।

इन आदेशों का प्रचार जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क अधिकारी/तहसील/ लोकल बाडिज/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा ग्राम पंचायतें करेंगी।

इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दि पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रांक सहित जारी हुए।

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 3168-3270/एम0ए0 दिनांक 31/01/2020

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
4. मण्डल आयुक्त, करनाल मण्डल, करनाल।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
10. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला/कलायत।
12. जिला राजस्व अधिकारी, कैथल।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
14. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
17. सचिव, नगरपालिका, चीका/पूण्डरी/कलायत/राजौन्द।
18. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
19. आशुलिपिक/उपायुक्त।
20. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेशों को जिला कैथल की वैबसाईट पर अप–लोड करने का कष्ट करें।

जिलाधीश, कैथल।